

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 603/2012

संस्थापन दिनांक 06.08.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—करतारसिंह पुत्र रघुवीरसिंह गुर्जर, उम्र 40 साल,
 - 2—सियाराम पुत्र रामधुनसिंह गुर्जर, उम्र 35 साल
 - 3—माधौसिंह पुत्र नाथूसिंह गुर्जर उम्र 25 साल
 - 4—जसवंतसिंह पुत्र रघुवीरसिंह गुर्जर उम्र 42 साल
- निवासीगण ग्राम कैथोदा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457, 511, 336 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27-28 नवम्बर 2011 की दरमियानी रात 12-1 बजे के मध्य ग्राम बकनासा स्थित फरियादी वीरेन्द्र अ0सा01 के गोंडा में फरियादी की भैंस चोरी करने के आशय से रात्रोगृहभेदन कारित किया और फरियादी की भैंस चोरी करने का प्रयत्न किया एवं उपेक्षा व उतावलेपन से कट्टे से फायर कर वीरेन्द्र अ0सा01 का मानव जीवन संकटापन्न किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी वीरेन्द्र अ0सा01 दिनांक 27-28.11.2011 की रात्रि को अपनी 2-3 भैंसे घर के गोंडा की मढैया में बांध रखी थी और ताला डाल दिया था और वह पास ही कमरे में सो रहा था तब रात के साढ़े बारह बजे आहट हुई और उसने देखा कि चार लोग भैंस चुराकर ले जा रहे हैं फिर वह चिल्लाया तो पूरन, बलराम, हरनाथ आदि आ गये तो चारों व्यक्तियों ने डराने के लिए कट्टे से फायर किया और डरकर भैंस छोड़कर भाग गये। आरोपीगण को फरियादी ने टार्च की रोशनी में पहचान लिया

था। तत्पश्चात् फरियादिया वीरेन्द्रसिंह अ0सा01 ने थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क्र0 146/11 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 27-28 नवम्बर 2011 की दरमियानी रात 12-1 बजे के मध्य ग्राम बकनासा स्थित फरियादी वीरेन्द्र अ0सा01 के गोंडा में फरियादी की भैंस चोरी करने के आशय से रात्रोगृहभेदन कारित किया ?
 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी की भैंस चोरी करने का प्रयत्न किया ?
 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा व उतावलेपन से कट्टे से फायर कर वीरेन्द्र अ0सा01 का मानव जीवन संकटापन्न किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. वीरेन्द्र अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है लेकिन उसके साथ कोई घटना नहीं हुई उसे ऐसा लगा कि भैंस चोरी हो गयी लेकिन भैंस घर में ही थी जो रात होने के कारण नहीं दिखी। गांववालों के कहने पर उसने रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस मौके पर नहीं आई और ना ही कोई पूछताछ की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 27-28.11.11 को आरोपीगण भैंस चुराकर ले जा रहे थे। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने कट्टे से फायर किया था और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण को पहचान लिया था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. फरियादी वीरेन्द्र अ0सा01 प्रत्यक्ष साक्षी होकर फरियादी है और अभियोजन मामले के अनुसार उसके द्वारा आरोपीगण को अपराध घटित करते हुए देखा गया है परन्तु न्यायालयीन साक्ष्य में वीरेन्द्र अ0सा01 ने कोई भी अपराध घटित होने से इंकार किया है और घटनास्थल पर आरोपीगण को पहचानने से भी इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 27-28 नवम्बर 2011 की दरमियानी रात 12-1 बजे के मध्य ग्राम बकनासा स्थित फरियादी वीरेन्द्र अ0सा01 के गोंडा में फरियादी की भैंस चोरी करने के आशय से रात्रोगृहभेदन कारित किया और फरियादी की भैंस चोरी करने का प्रयत्न किया एवं उपेक्षा व उतावलेपन से कट्टे से फायर कर वीरेन्द्र अ0सा01 का मानव जीवन संकटापन्न किया।
7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 457, 511, 336 भा.द.स. के आरोप से

दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. इस प्रकरण में कोई संपत्ति जप्त नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)